अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्म्स अपील वाद संख्याः 71/2013

रणविजय कुमार उर्फ रविन्द्र —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 32–1/सामान्य, दिनांकः 28.01.13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि श्री नरसिंह प्रसाद यादव, सा0 पैजुना, थाना– घोसवरी, जिला– पटना, वर्तमान में द्वारा– श्री रामाकान्त रमण, चित्रगुप्त नगर, सहरसा को अनुज्ञप्ति संख्या 4548/16 (सहरसा थाना) पर धारित शस्त्र एन0पी0बोर एस0बी0बी0एल0 30.06 बोर रायफल संख्या 235318 by Eddy Stone (U.S.A.) Second hand को निर्गत है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक 395/गो0 पटना दिनांक 25.04.2012 द्वारा घोसवरी थाना कांड संख्या 24/12 दिनांक 30.03.12 धारा 147/148/149 448/307 भा0 द0 वि0 के अनुसंधानकर्त्ता थानाध्यक्ष, घोसवरी थाना के ज्ञापांक 297/12 दिनांक 03.04.12 एवं पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पटना के पत्रांक 720 (पी)/सी0आर0 दिनांक 20.04.12 की प्रति संलग्न करते हुए कांड के प्रथमिकी नामजद अभियुक्त श्री रणविजय कुमार उर्फ रविन्द्र, पिता– श्री नरसिंह प्रसाद यादव, सा0 पैजुना, थाना– घोसवरी, जिला– पटना, वर्तमान में द्वारा– श्री रामाकान्त रमण, चित्रगुप्त नगर, सहरसा के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को प्राप्त हुआ।

कांड के अनुसंधानकर्त्ता थानाध्यक्ष घोसवरी थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन दिनांक 03.04.12 में उल्लेख किया गया है कि घोसवरी थाना कांड

संख्या 24/12 दिनांक 30.03.12 धारा 147/148/149/448/307/ भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम के विरूद्ध प्रथमिकी नामजद अभियुक्त श्री रणविजय कुमार उर्फ रविन्द्र द्वारा उक्त, शस्त्र से गोली चलाये जाने से श्री संजीत कुमार, पिता –श्री नारायण यादव, सा0– पैजुना, थाना –घोसवरी, जिला– पटना गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज पटना में चल रही है तथा वे जीवन–मरण से जुझ रहे है तथा अभियुक्त आर्म्स के बल पर दहशत फैलाते रहते हैं और आर्म्स का दुरूपयोग कर गंभीर घटना कर सकते है। उक्त सूचना के साथ साथ थानाध्यक्ष, घोसवरी थाना द्वारा श्री रणविजय कुमार उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध सात आपराधिक इतिहास का उल्लेख करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के कार्यालय ज्ञापांक 425–1/सा0 दिनांक 01.09.2012 द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गई। उक्त आलोक में अनुज्ञप्तिधारी श्री यादव द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में क्रमशः आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति का उल्लेख किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि उपर्युक्त कांडों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई ठोस तथ्यात्मक साक्ष्य और न्यायादेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु ली गयी है वो अपीलार्थी द्वारा कभी इसका दुरूपयोग नहीं किया गया है। गॉव की गन्दी राजनीति के कारण उनके तथा उनके परिवार के विरूद्ध वाद दायर किये गये है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी पॉच भाई हैं एवं अपीलार्थी चौथे नं0 पर है एवं वे सहरसा में रहकर ठीकेदारी करते थे वो अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु वर्ष 1996–97 में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिए थे वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जॉच पड़ताल कर अपीलार्थी को अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया था वो दिनांक 31.12.97 से अनुज्ञप्तिधारी है बतलाते हैं वो उक्त घटना/दायर वादों के पीछे गॉव की गंदी राजनीति बतलाते हैं।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में इस न्यायालय में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगे गये सूचना के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाढ़ के आदेश पर दिया गया मोकदमा थाना अध्यक्ष का प्रतिवेदन दिनांक 30.10.12 एवं थाना अध्यक्ष घोसवरी थाना द्वारा दिया गया प्रतिवेदन दिनांक 28.10.12, घोसवरी थाना कांड संख्या 31/89 जिसका सत्र वाद संख्या 735/92 में जजमेन्ट के नकल का छाया प्रति एवं घोसवरी थाना कांड संख्या 34/2010 के संबंध में अपीलार्थी के भाई राम जतन यादव द्वारा दायर किया गया घोसवरी थाना कांड संख्या 9/10 पलटा (counter) case है जिसका एफ0 आई0 आर0 की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि *" श्री रण विजय कुमार उर्फ रविन्द्र पिता श्री नरसिंह पसाद यादव का आगनेयास्त्र की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति करने के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदन एवं उनकी अनुशंसा का प्रपत्र के कमांक 3 में आवेदक का पूर्ववत चरित्र कॉलम में अंकित किया गया है कि –"* ***गृह पता से सत्यापन किया जा सकता है।"*** इस विन्दु को नजरअन्दाज करते हुए श्री यादव को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्वीकृति दी गयी है। अपीलार्थी को अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व अपीलार्थी के गृह जिला से उनके पूर्ववत चरित्र के संबंध में बिना जॉच कराये अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है जो किसी भी दृश्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 32–1/ सामान्य दिनांक 28.01.2013 द्वारा पारित आदेश में कोई दुर्बलता (Infirmity) नहीं है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा